ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	56587.72	42.15	56629.87	66092.18	37.86	66130.04	76329.68	40.65	76370.33	74100.00	43.72	74143.72
	पूंजी	***7.24***	...	*7.24*	*7.82*	...	*7.82*	*7.82*	...	*7.82*	...	...	...
	जोड़	**56594.96**	**42.15**	**56637.11**	**66100.00**	**37.86**	**66137.86**	**76337.50**	**40.65**	**76378.15**	**74100.00**	**43.72**	**74143.72**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	23.61	23.61	...	20.46	20.46	...	22.34	22.34	...	24.09	24.09
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2501	2220.83	...	2220.83	2675.18	...	2675.18	2675.18	...	2675.18	2621.60	...	2621.60
	4515	7.24	...	7.24	7.82	...	7.82	7.82	...	7.82	...	...	...
	जोड़	*2228.07*	...	*2228.07*	*2683.00*	...	*2683.00*	*2683.00*	...	*2683.00*	*2621.60*	...	*2621.60*
ग्रामीण रोजगार													
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना													
3.01 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता	2505	33539.38	...	33539.38	40100.00	...	40100.00	40100.00	...	40100.00	40000.00	...	40000.00
3.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	2505	-33539.38	...	-33539.38	-40100.00	...	-40100.00	-40100.00	...	-40100.00	-40000.00	...	-40000.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
आवास													
4. ग्रामीण आवास													
4.01 इंदिरा आवास योजना	2216	8799.90	...	8799.90	8996.00	...	8996.00	9333.50	...	9333.50	8996.00	...	8996.00
4.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2216	-5280.00	...	-5280.00	-8448.00	...	-8448.00	-7000.00	...	-7000.00	-8448.00	...	-8448.00
	निवल	*3519.90*	...	*3519.90*	*548.00*	...	*548.00*	*2333.50*	...	*2333.50*	*548.00*	...	*548.00*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
5. डीआरडीए प्रशासन	2515	385.00	...	385.00	364.50	...	364.50	364.50	...	364.50	413.90	...	413.90
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कार्यक्रम को अनुदान	2515	30.00	17.27	47.27	94.50	16.00	110.50	94.50	16.94	111.44	94.50	18.23	112.73
7. कापार्ट को सहयोग	2515	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2515	...	...	...	111.20	...	111.20	66.20	...	66.20	90.00	...	90.00
9. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और [illegible] सुदृढ़ीकरण	2515	73.97	1.27	75.24	108.00	1.40	109.40	108.00	1.37	109.37	108.00	1.40	109.40

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
10. बीपीएल सर्वेक्षण	2515	1.20	...	1.20	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	250.00	...	250.00
	3601	148.50	...	148.50	145.07	...	145.07	100.07	...	100.07	19.99	...	19.99
	3602	0.15	...	0.15	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.01	...	0.01
	जोड़	*149.85*	*...*	*149.85*	*145.80*	*...*	*145.80*	*100.80*	*...*	*100.80*	*270.00*	*...*	*270.00*
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**688.82**	**18.54**	**707.36**	**924.00**	**17.40**	**941.40**	**834.00**	**18.31**	**852.31**	**1076.40**	**19.63**	**1096.03**
सड़कें और पुल													
11. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	4183.13	...	4183.13	4434.12	...	4434.12	4987.50	...	4987.50	5550.00	...	5550.00
12. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)													
12.01 कार्यक्रम संघटक	3054	10529.92	...	10529.92	9996.00	...	9996.00	18996.00	...	18996.00	16006.10	...	16006.10
12.02 ईएपी संघटक	3054	810.00	...	810.00	890.00	...	890.00	890.00	...	890.00	2211.00	...	2211.00
12.03 जीएमजीएसवाई पर सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3054	-4183.13	...	-4183.13	-4434.12	...	-4434.12	-4987.50	...	-4987.50	-5550.00	...	-5550.00
	निवल	*7156.79*	*...*	*7156.79*	*6451.88*	*...*	*6451.88*	*14898.50*	*...*	*14898.50*	*12667.10*	*...*	*12667.10*
जोड़-सड़कें और पुल		**11339.92**	**...**	**11339.92**	**10886.00**	**...**	**10886.00**	**19886.00**	**...**	**19886.00**	**18217.10**	**...**	**18217.10**
13. राष्ट्रीय निवेश फंड (एनआईएफ) को अंतरण													
13.01 ग्रामीण रोजगार	2505	11730.00	...	11730.00	18768.00	...	18768.00	10360.79	...	10360.79	18768.00	...	18768.00
13.02 ग्रामीण आवास	2216	5280.00	...	5280.00	8448.00	...	8448.00	7000.00	...	7000.00	8448.00	...	8448.00
जोड़- राष्ट्रीय निवेश फंड (एनआईएफ) को अंतरण		*17010.00*	*...*	*17010.00*	*27216.00*	*...*	*27216.00*	*17360.79*	*...*	*17360.79*	*27216.00*	*...*	*27216.00*
14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण													
14.01 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण	2505	33538.25	...	33538.25	40100.00	...	40100.00	40100.00	...	40100.00	40000.00	...	40000.00
14.02 एमआईएफ से पूरी की गई राशि	2505	-11730.00	...	-11730.00	-18768.00	...	-18768.00	-10360.79	...	-10360.79	-18768.00	...	-18768.00
	निवल	*21808.25*	*...*	*21808.25*	*21332.00*	*...*	*21332.00*	*29739.21*	*...*	*29739.21*	*21232.00*	*...*	*21232.00*
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
15.01 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2552	...	...	...	301.00	...	301.00	301.00	...	301.00	292.40	...	292.40
15.02 ग्रामीण आवास	2552	...	...	...	1004.00	...	1004.00	1004.00	...	1004.00	1004.00	...	1004.00
15.03 डीआरडीए प्रशासन	2552	...	...	...	40.50	...	40.50	40.50	...	40.50	47.10	...	47.10
15.04 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2552	...	...	...	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50
15.05 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2552	...	...	...	12.80	...	12.80	7.80	...	7.80	10.00	...	10.00
15.06 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
15.07 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	...	...	...	16.20	...	16.20	11.20	...	11.20	30.00	...	30.00
15.08 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -	2552	...	...	...	1114.00	...	1114.00	2114.00	...	2114.00	1782.90	...	1782.90

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
कार्यक्रम संघटक													
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*2511.00*	*...*	*2511.00*	*3501.00*	*...*	*3501.00*	*3188.90*	*...*	*3188.90*
कुल जोड़		***56594.96***	***42.15***	***56637.11***	***66100.00***	***37.86***	***66137.86***	***76337.50***	***40.65***	***76378.15***	***74100.00***	***43.72***	***74143.72***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	13054	...	6500.00	6500.00	...	10000.00	10000.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**6500.00**	**6500.00**	**...**	**10000.00**	**10000.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	2228.07	...	2228.07	2683.00	...	2683.00	2683.00	...	2683.00	2621.60	...	2621.60
2. ग्रामीण रोजगार	12505	33538.25	...	33538.25	40100.00	...	40100.00	40100.00	...	40100.00	40000.00	...	40000.00
3. आवास	22216	8799.90	...	8799.90	8996.00	...	8996.00	9333.50	...	9333.50	8996.00	...	8996.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	688.82	...	688.82	924.00	...	924.00	834.00	...	834.00	1076.40	...	1076.40
5. सड़क एवं पुल	13054	11339.92	6500.00	17839.92	10886.00	10000.00	20886.00	19886.00	...	19886.00	18217.10	...	18217.10
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	2511.00	...	2511.00	3501.00	...	3501.00	3188.90	...	3188.90
जोड़		**56594.96**	**6500.00**	**63094.96**	**66100.00**	**10000.00**	**76100.00**	**76337.50**	**...**	**76337.50**	**74100.00**	**...**	**74100.00**

1. प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जो 1.4.1999 से शुरु की गई है, को व्यापक कार्यक्रम के रुप में माना गया है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू अर्थात् ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण, प्रशिक्षण, क्रियाकलाप समूहों की आयोजना, आधारभूत सुविधा का विकास, बैंक ऋण एवं सब्सिडी के जरिए वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि शामिल हैं। विगत अनुभव से यह भी पता चला है कि यदि प्रयास वैयक्तिक आधार की बजाए समूह आधार पर किए जाएं तो सफलता की दर अधिक होती है। इस प्रकार कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसमें निर्धारित प्रमुख क्रियाकलापों में माइक्रो-इण्टरप्राइजेज के विकास में समूह दृष्टिकोण पर भी बल दिया जाता है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से सम्बध्द हैं और स्वरोजगारियों के चयन तथा परियोजना पूरी होने के बाद की निगरानी आदि की दृष्टि से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन तक में शामिल हैं। केन्द्र एवं राज्यों के बीच निधियों का वहन 75:25 के अनुपात में किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90: 10 है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार लक्ष्य समूह हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि लक्ष्य समूह में 50%, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां होंगी, 40% महिलाएं होंगी, 15% अल्पसंख्यक तथा 3% विकलांग व्यक्ति होंगे।

सरकारी, अर्ध्द-सरकारी, गैर-सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी कॉरपोरेट निकाय आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ देश भर के जिलों और क्षेत्र में समयबध्द परियोजना मोड में नई दूरगामी पहल शुरु करने के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का 15% एसजीएसवाई विशेष परियोजना शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

सुपुर्दगी में सुधार लाने के लिए तथा एक समयावधि के भीतर कवरेज का विस्तार करने के लिए एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। एनआरएलएम की मुख्य विशेषता है - प्रत्येक बीपीएल परिवार को स्व सहायता समूह के अंतर्गत लाना, विभिन्न स्तरों पर समर्पित व्यवसायिक कार्यान्वयन ढांचा स्थापित करना, लाभार्थियों के लिए बढी हुई पूंजी सब्सिडी, कम ब्याज दर पर बैंकों से बीपीएल ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराने के प्रावधान सहित कई ऋणों तक आसान पहुँच (ब्याज सब्सिडी की शुरूआत), विभिन्न स्तरों पर

http://indiabudget.nic.in

स्व सहायता समूह सघों जैसे जन स्वामित्व वाले सगठन का गठन तथा सशक्तीकरण तथा कौशल विकास और प्लेसमेंट कार्यक्रम का पैमाना बढाना । क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्व सहायता प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे ताकि सहयोग के लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल पर विशेष जोर दिया जा सके ।

देश में महिला कृषकों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत एक उप-घटक अर्थात "महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना" भी रखा गया है ।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है । यह अधिनियम पहले चरण में 2.2.2006 से 200 जिलों में कार्यान्वित किया गया । वर्ष 2007-08 के दौरान दूसरे चरण में देश के 130 और जिलों को कवर किया गया । देश के शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों को 1 अप्रैल, 2008 से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लाया गया है । इस अधिनियम के सार्वजनीकरण से सरकार की ग्रामीण गरीब की स्थिति को सुधारने के लिए अटल प्रतिबध्दता का पता लगता है ।

सृजित परिसम्पत्तियों का स्थायित्व भूमि उत्पादकता में सुधार अन्य कार्यक्रमों के साथ मनरेगा के तालमेल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा । मनरेगा श्रमिकों को अविलम्ब न्याय उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर ओम्बड्समैन की स्थापना के जरिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जाता है ।

सार्वजनिक व्यय के माध्यम से मनरेगा का उचित परिणाम एक अधिक कठोर तरीके से सामाजिक लेखापरीक्षा लागू करके सुनिश्चित किया जाएगा । इससे मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा जन जवाबदेही भी आएगी ।

4. इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य है - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के उन्नयन में सहायता उपलब्ध कराना । 1995-96 से आई.ए.वाई. का लाभ सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के सेवा के दौरान शहीद हुए सदस्यों के परिवारों को भी दिया गया है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए योजना के अंतर्गत कम से कम 60% निधियां निर्धारित की जाती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत निधियां आरक्षित हैं । बीपीएल अल्पसंख्यकों (15%) के लिए आईएवाई निधियां तथा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

आवासीय इकाई निरपवाद रुप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित की जानी चाहिए । विकल्प के रुप में, इसे पति-पत्नी दोनों के नाम आवंटित किया जा सकता है । यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य न हो तो मकान पुरूष सदस्य के नाम आवंटित किया जा सकता है ।

इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 45,000रु. तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 48,500 रु. की सहायता दी जाती है। तत्पश्चात, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 60 जिलों के लिए भी 48,500 रु. प्रति मकान का वित्तपोषण लागू किया गया है। आई.ए.वाई. के वार्षिक आवंटन का 20%, कच्चे मकानों के उन्नयन तथा/अथवा ऋण-सह-सब्सिडी योजना के लिए खर्च किया जा सकता है । आईएवाई मकानों को विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना में भी शामिल किया गया है ताकि आईएवाई के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता के अलावा उन्हें राष्ट्रीय बैंकों द्वारा 4% ब्याज दर पर प्रति इकाई 20000 रू. तक का ऋण मुहैया कराया जा सके । 32,000 रु. से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को उन्नयन के लिए 15000- रु. और ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत 12,500 रु. तक की सब्सिडी दी जाती है । वे आवास के निर्माण हेतु बैंकों से 50,000 रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं । वित्तपोषण को केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100% राशि केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में निधियां 90: 10 के अनुपात में वहन की जाती हैं । इंदिरा आवास योजना के भाग के रूप में, अगस्त, 2009 से ऐसे ग्रामीण बीपीएल परिवारों, जिनके पास रहने के लिए भूमि स्थान नहीं है, के मकानों के निर्माण के लिए आवास-स्थल/वास भूमि क्षेत्र के लिए प्रति लाभार्थी 10000 रू. तक राशि देने की व्यवस्था की गई है । केंद्र और राज्य के बीच निधियों का वित्तपोषण 50:50 के आधार पर किया जाना है । इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, आईएवाई के साथ संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, पेयजल आपूर्ति, आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का तालमेल बिठाया गया है ।

प्राकृतिक आपदाओं तथा दंगा, आगजनी और आग, असामान्य परिस्थितियों में पुनर्वास जैसी आकस्मिक परिस्थितियों इत्यादि से उत्पन्न होने वाली जरुरतों से निपटने के लिए आईएवाई के तहत कुल आबंटन का 5% अलग रखा जाता है। कोई जिला अपने वार्षिक आबंटन का 10% अथवा 70.00 लाख रु. (राज्य अंश सहित), जो भी अधिक हो, का उपयोग कर सकता है।

5. डी.आर.डी.ए. प्रशासन की योजना का उद्देश्य, डीआरडी एजेंसियों को सुदृढ क़रना और उन्हें अधिक पेशेवर तथा कारगर बनाना है । इसे एक ओर तो मंत्रालय के गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एक सक्षम एजेंसी के रूप में देखा जाता है और दूसरी ओर यह इन कार्यक्रमों को जिले में गरीबी उपशमन के समस्त प्रयासों के साथ जोड़ती है । इस योजना का वित्तपोषण, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90: 10 के अनुपात में किया जाता है । दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीआरडी एजेंसियों को सीधे 2 किस्तों में निधियां प्रदान की जाती है । संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र द्वारा 100% निधियां प्रदान की जाती हैं ।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्थान है । विकासात्मक मुद्दों पर पाठयक्रम आयोजित करने के अलावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कर्मियों की क्षमता का निर्माण एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं ।

7. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) का उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोगों को शामिल करना है । कपार्ट सामाजिक संचलन के उच्च स्तर के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को कम करके एवं ग्रामीण गरीबों को अधिकार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आन्दोलन शुरु करने का कार्य करती है ।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान (पुरा) का उद्देश्य, निर्धारित ग्रामीण बस्तियों में वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में अन्तर को समाप्त करना है ताकि उनकी विकास क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सके ।

9. इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण क्रियाकलापों, जागरुकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिला नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ क़रने का प्रावधान शामिल है।

10. यह प्रावधान मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य में रखे जाने वाले ग्रामीण बीपीएल परिवारों के निर्धारण के उद्देश्य से बीपीएल सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

11 & 12. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 को शुरु की गई थी। यह शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली संपर्करहित बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तराखंड) तथा मरुभूमि (अनुसूची-V) क्षेत्रों के मामले में इसका उद्देश्य 250 एवं उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़क से जोड़ना है। हाल ही में, चुनिंदा पिछड़े तथा जनजातीय जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित 60 जिलों में 250 व्यक्तियों तथा अधिक की जनसंख्या वाली बसावटों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के तहत लाने के लिए कार्यक्रम दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,68,268 बसावटें कवरेज के लिए पात्र थीं जिनमें से 31,804 बसावटों को या तो किसी अन्य योजना के तहत जोड़े जाने अथवा अव्यवहार्य होने की सूचना है। इसलिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 1,36, 464 बसावटों को लक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में एक उन्नयन घटक भी है जिसके तहत खेत से बाजार तक सपंर्क सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़कों के 3.75 लाख कि.मी. के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है (ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण का 40% अंश राज्यों द्वारा वित्तपोषित किया जाना है)। वर्ष 2004-05 की कीमतों के आधार पर इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 1,32,000 करोड़ रू. है।

'ग्रामीण सड़कों' को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक घटक के रूप में निर्धारित किया गया है जिसका उद्देश्य 1000 लोगों तथा इससे अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को (पर्वतीय अथवा अनुसूची-V जनजातीय क्षेत्रों में 500 लोग) बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में एक उन्नयन घटक भी है जिसके तहत खेत से बाजार तक सपंर्क सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़कों के 1.94 लाख कि.मी. के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है (ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण का 40% अंश राज्यों द्वारा वित्तपोषित किया जाना है)। राज्यों द्वारा वास्तविक सत्यापन के आधार पर मार्च, 2012 तक भारत निर्माण के अंतर्गत 54,648 बसावटों को जोड़े जाने का लक्ष्य है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता से क्रमश: ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजनाए I एवं II तथा और विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता से ग्रामीण सड़क परियोजना I नामक कुल 3 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। एशियाई विकास बैंक के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना III तथा विश्व बैंक के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना II के विषय में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने पर बातचीत हो गई है।

15. पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें सिक्किम शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।

http://indiabudget.nic.in